90

संख्याः–2038 / II–2015–04(39)/2010

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 31 जुलाई, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में ए0आई0बी0पी0–ई0आर0एम0 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत दुगड्डा विकासखण्ड में मालन नहर प्रणाली के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण की निर्माणाधीन योजना हेतु राज्यॉश की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2599/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 25 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0आई0बी0पी0–ई0आर0एम0 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत दुगड्डा विकासखण्ड में मालन नहर प्रणाली के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एंव आधुनिकीकरण की निर्माणाधीन योजना स्वीकृत लागत ₹ 1140.22 लाख की अवशेष धनराशि ₹ 1026.20 लाख (₹513.10 लाख राज्यॉश एंव ₹513.10 लाख केन्द्राश) के सापेक्ष शासनादेश 552/सा/II–2014–04(39)/ 2010 दिनांक 31.01.2015 द्वारा अवमुक्त राज्यॉश ₹ 456.09 लाख का पूर्ण उपयोग कर लिये जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना पर राज्यॉश की अवशेष धनराशि ₹ 57.01 लाख (₹ सत्तावन लाख एक हजार मात्र) अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

(ii) योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

(iv) अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

(v) कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

(vi) आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

(vii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

क्रमश....2

(ix) एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(x) कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(xi) योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों एवं स्वीकृति के साथ दिये गये प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05–सिंचाई विभाग की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (70 प्रतिशत)–0195–त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3 धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या S1508820090 दिनांक 4 Aug-15 से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल 2015 में चालू योजनाओं/चालू निर्माण कार्यो हेतु दी गयी व्यवस्था के आधार पर निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
सचिव।

संख्याः– 2088 (1)/ II–2015–04(39)/2010 टीसीतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, पौड़ी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।